


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर
स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर
निर्माण कर स्थापना के लिए
एजेंसी नियुक्ति हेतु ई-निविदा
प्रपत्र
वर्ष 2019–21



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456001
दूरभाष – 2527061, 2527068, 2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

**ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर
निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना**

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी के प्रचार-प्रसार के लिए ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु दो वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक आवेदक वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 05/11/2019 प्रातः 11:00 बजे से 11/11/2019 प्रातः 11:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उसी दिन (दिनांक 11/11/2019 को) अपरान्ह 01:00 बजे तक ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के साथ भौतिक रूप से दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन में भी जमा करना होंगे, साथ ही अमानत राशि रु. 1,00,000/- का ऑनलाईन रूप से जमा राशि की स्लीप दिनांक 13/11/2019 को अपरान्ह 2:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा। प्राप्त सभी निविदाएं तकनीकी अर्हताओं के परिक्षण हेतु दिनांक 13/11/2019 अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की दरें दिनांक 14/11/2019 को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जाएगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साइट www.mpcdf.gov.in पर लॉग ऑन करें।

“Export enquiries for Sanchi Ghee from exporters are invited. Please contact 9425077856/9425912916 or foreigntrademtc@gmail.com /sanchimsids@gmail.com for all terms and conditions.”

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर
निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु
ई-निविदा प्रपत्र

1	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 05/11/2019 प्रातः 11:00 बजे से
2	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	11/11/2019 प्रातः 11:00 बजे तक
3	ई-निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	11/11/2019 अपराह्न 01:00 बजे तक
4	ई-निविदा भौतिक रूप से जमा करने की तिथि एवं समय	13/11/2019 अपराह्न 2:00 बजे तक
5	तकनीकी बीड भौतिक एवं ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	13/11/2019 अपराह्न 3:00 बजे
6	वित्तीय बीड (प्राइज बीड) खोलने की तिथि एवं समय	14/11/2019 अपराह्न 3:00 बजे
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि रूपये 1,00,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
6	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/- (पांच सौ मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
9	ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु तकनीकी अर्हताएँ” का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा ‘A’
10	“भाव पत्र/दरें” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 “निविदा की शर्तें” तथा प्रपत्र क्रमांक 02 “तकनीकी अर्हताएँ” एवं प्रपत्र क्रमांक 04 “अनुबंध की शर्तें” (एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ”A”— प्रपत्र 1 “ तकनीकी अर्हताएं” एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावें। (प्रत्येक दस्तावेज पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना जरूरी है।)
- उक्त “A” बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 13/11/2019 को दोपहर 2:00 बजे तक जमा की जावें। पहले “तकनीकी अर्हताएं”

तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएगी।

- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।

नोट :-—सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि “EMD” ऑनलाईन जमा करें। लिफाफा “A” निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से उज्जैन दुग्ध संघ में जमा करें। दस्तावेज जिन्हें ऑनलाईन नहीं भेजा जा सकता है, को साथ ही लिफाफा “A” में दिनांक 13/11/2019 को दोपहर 2:00 बजे तक प्रेषित करें। प्रपत्र क्रमांक 03 जो “Price Bid” होगी, को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जावे जो दिनांक 14/11/2019 को दोपहर 3:00 तक खोला जावेगा तथा भौतिक रूप से प्राप्त “Price Bid” को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
2. **निविदा कार्य अवधि :-**

निविदाएँ निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2019–2021 (2 वर्ष) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

**ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर
निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु
ई-निविदा आवश्यक शर्तें**

1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र – 01 के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ रूपये 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) ऑनलाईन अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी कभी भी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकार की ऐसा निविदा/अनुबंध निरस्त समझी जावेगा।
5. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
6. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें केवल ऑनलाईन ई-टेप्डर में ही वर्णित करनी होगी। दरें अंकों में एवं शब्दों में प्रस्तुत करना होगी। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी दर को मान्य किया जाएगा।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
9. निविद प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप पढ़ कर समझ लें।
10. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु बतौर प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) RTGS/NEFT या चेक के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. निविदा स्वीकृति के उपरांत निविदाकार की कार्य अवधि दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी।
12. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

13. ग्लोसाइन बोर्ड निर्माता को बोर्ड दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजर्झन एवं आकार में बनाये जाने होंगे।
14. दुग्ध संघ द्वारा बोर्ड निर्माता को सॉची आउटलेट की सूची दी जाएगी, यह आउटलेट उज्जैन, नागदा, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच कार्यक्षेत्र में स्थित है। निर्माता को दिये गये आउटलेट पर बोर्ड लगाकर स्थापित किये गये प्रत्येक बोर्ड का रंगीन फोटो उपलब्ध कराना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जाएगा।
15. सभी कार्य कार्यादेश जारी होने के एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा तथा सम्पूर्ण भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा।
16. निविदाकार को शासकीय/सहकारी संस्था के साथ कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभाव होना चाहिए। इस हेतु कार्यादेशों छायाप्रति संलग्न करना होगी।
17. निविदाकार के पास GST होना अनिवार्य होगा।
18. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् निविदाकार को रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (संलग्न प्रारूप अनुसार) शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
19. निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (संलग्न प्रारूप अनुसार) संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

मेरे द्वारा ग्लोसाइन बोर्ड निर्माणकर्ता एवं होर्डिंग्स पर फ्लेक्स निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु ई-निविदा आवश्यक शर्तों की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 29 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

साँची ग्लोसाईन बोर्ड निर्माणकर्ता एवं होर्डिंग्स/युनिक पॉल पर स्टार फ्लेक्स निर्माण एवं स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु दिनांक को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हुँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हुँ। अतः एतत् द्वारा अमानत राशि रु. 1,00,000/- (अक्षरी रु. एक लाख मात्र) ऑनलाईन माध्यम से जमा कर जमा स्लीप संलग्न किया जा रहा है।

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आवश्यक अहर्ता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है।		GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न

6	निविदाकार को शासकीय/ सहकारी संस्था के साथ कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभाव होना चाहिए।		इस हेतु कार्यादेशों छायाप्रति संलग्न करना होगी।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
8	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2016–17 एवं 2017–18, 2018–19) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
9	ई.एम.डी. राशि एवं निविदा क्रय करने के मूल्य की रसीद।		ऑनलाईन जमा राशि की मूल रसीद संलग्न करें।
10	निविदकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। इस बाबत् निविदाकार को शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।		इस हेतु रूपये 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
11	निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।		इस हेतु रूपये 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:-


- उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर आर्नेस्ट मनी डी.डी. के साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04 , अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

दूरभाष नम्बर -----
मोबाईल नम्बर -----




साँची ग्लोसाइन बोर्ड निर्माणकर स्थापना एवं होर्डिंग्स/यूनिपॉल पर
स्टॉर फ्लेक्स निर्माण एवं स्थापना कराने के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु
भाव पत्र

1. प्रस्तावित दर –

क्र.	कार्य का विवरण	दर रु. प्रतिवर्गफीट
1	निविदा में स्पेसिफिकेशन अनुसार ग्लोसाइन बोर्ड हेतु दर रु. प्रतिवर्गफीट	दर रु. शब्दों में (.....) GST रु. शब्दों में (.....) कुल दर रु. शब्दों में (.....)
2	होर्डिंग्स/यूनिपॉल पर स्टॉर फ्लेक्स निर्माण कर एवं स्थापना हेतु दर रु. प्रतिवर्गफीट	दर रु. शब्दों में (.....) GST रु. शब्दों में (.....) कुल दर रु. शब्दों में (.....)

- जीएसटी सहित जो दर न्यूनतम प्राप्त होगी उसे न्यूनतम दर माना जावेगा।
- अंको में एवं शब्दों में अन्तर पाया जाता है तो अंको में लिखी गई दर मान्य रहेगी।
- यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती है तो पार्टी का चयन झौँ द्वारा किया जावेगा।

हस्ताक्षर


नाम—

प्रपत्र क्रमांक – 04
(अनुबंध शर्तों का प्रारूप खण्ड – अ)

साँची ग्लोसाइन बोर्ड निर्माणकर स्थापना
हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं श्री/मेसर्स जिन्हे आगे ठेकदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व साँची फ्लेक्स/बेनर/बोर्ड निर्माणकर्ता कार्य संपादित करेगें –

1. उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजाईन एवं आकार में 18 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्केयर पाईप के डबल फ्रेम में ग्लोसाइन बोर्ड हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट सभी कर सहित प्रभावशील रहेगी।
2. उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजाईन एवं आकार में ग्लोसाइन बोर्ड स्टार फ्लेक्स पर एक तरफ से प्रिंटड फ्लेक्स बोर्ड जो उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा सूचित किये गये होर्डिंग्स/यूनिपॉल पर लगाने हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट सभी कर सहित प्रभावशील रहेगी।
3. सभी ग्लोसाइन बोर्ड में केवल बैक लाईट स्टार फ्लेक्स प्रिटिंग ही करना होगी।
4. ग्लोसाइन बोर्ड का फ्रेम स्टेण्डर्ड एमएस स्केयर पाईप (1×1) 18 गेज के डबल फ्रेम होना चाहिए।
5. ग्लोसाइन बोर्ड की पीछे की साइड 26 गेज की स्टेण्डर्ड जीआइ शीट से कवर्ड करना होगी तथा पूर्ण साईड पैनल 18 गेज की स्टेण्डर्ड पाउडर कोटिड जीआई शीट से कवर्ड होगी।
6. ग्लोसाइन बोर्ड में न्यूनतम 12 फीट का ISI मार्क बॉर्ड कॉपर वायर तथा फिलिप्स WIPPO/क्राम्फटन/सिसका/बजाज या हेवल्स की LED Light लगानी होगी।
7. 6×3 फिट के प्रत्येक ग्लोसाइन बोर्ड में 18 वाट की 4 LED Light एवं 8×3 के बोर्ड में 5 LED Light लगानी होगी
8. ग्लोसाइन बोर्ड 6×3 फिट एवं 8×3 फिट आकार के होंगे। अतः निविदाकार निविदा में प्रति स्केयर फिट की दर प्रस्तुत करें। प्रस्तुत दरों में जीएसटी पृथक से अंकित की जाए।
9. दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन, रतलाम, नागदा, मंदसौर, नीमच, आगर, शाजापुर, महिदपुर, जावरा, आदि शहरों में कार्य करना होगा। अतः निविदाकार को निविदा में दरें प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखा जाए कि दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आउटलेट

की सूची पर ग्लोसाइन स्थापित कराने, परिवहन व्यवस्था, लेबर चार्ज आदि सभी व्यय प्रस्तुत दरों में शामिल होंगे। स्वीकृत दर के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

10. Light (1 वर्ष) में खराब होती है तो बदलनी होगी।
11. एक माह की अग्रिम सूचना देकर यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस कार्य छोड़ने बाबत् देना होगा।
12. द्वितीय पक्ष को फ्लेक्स बेनर एवं ग्लोसाइन बोर्ड दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन एवं आकार में बनाये जाने होंगे।
13. दुग्ध संघ द्वारा ग्लोसाइन बोर्ड निर्माता को सॉची आउटलेट की सूची दी जाएगी, यह आउटलेट उज्जैन, नागदा, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अथवा आस-पास के कार्यक्षेत्र में स्थित है। निर्माता को दिये गये आउटलेट पर बोर्ड लगाकर स्थापित किये गये प्रत्येक बोर्ड की लाईट चालू कर रंगीन फोटो उपलब्ध कराना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जाएगा।
14. सभी कार्य कार्यादेश जारी होने के एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा तथा सम्पूर्ण भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा।
15. निविदाकार के पास GST होना अनिवार्य होगा।
16. अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में अनुबंध को जारी रखना संभव न होने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार उभय पक्ष को होगा।
17. यह कि इस अनुबंध के विरुद्ध ठेकादार द्वारा प्रथम पक्ष के पास रूपये 1,00,000/- प्रतिभूति जमा की गई, जिसे अनुबंध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस किया जा सकेगा।
18. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा सॉची के विक्रय केन्द्रों पर बोर्ड स्थापित करने के लिए नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अथवा संबंधित के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को ठेकेदार द्वारा तुरन्त हटाना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरंत निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।
19. यह अनुबंध दिनांक से तक 2 वर्षीय ठेका अवधि तक प्रभावशील रहेगा, इसके अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना करने या संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ

द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त किया जा सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।

20. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरंत निरस्त करने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
21. दुग्ध संघ की बकाया कोई भी राशि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूली की जा सकेगी।
22. इस अनुबंध में जो दरें स्वीकृत की गई हैं वह दरें अनुबंध अवधि में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।
23. उपरोक्त किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
24. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निराकरण हेतु Arbitrator अध्यक्ष, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन के समक्ष रखा जावेगा। उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
25. उपरोक्त शर्तों के अलावा दुग्ध संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त शर्त लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को होगा, जिसे द्वितीय पक्ष को मान्य करना बंधनकारी होगा।
26. यदि ठेकेदार शर्तों के परिचालन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी।
27. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण उज्जैन दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर तुरंत करना होगा, क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि ठेकेदार से

वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

28. ठेकेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का नाम मात्र सदस्य बनेगा, एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाए म.प्र. के न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।
29. उपरोक्त अनुबंध के शर्तों के अलावा समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र/परिपत्र तथा निविदा की शर्त इस अनुबंध के भाग माना जाएंगे एवं उसके पालन हेतु ठेकादार बंधनकारी होगा।
30. इस अनुबंध का न्यायिक कार्य क्षेत्र, उज्जैन शहर का न्यायालय होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार –

नाम.....

नाम.....पिता का नामआयु.....

निवासी.....ऊपर उल्लेखित हस्ताक्षरित की गई निविदा क्षेत्र मेरे द्वारा भलीभांति पढ़कर/समझकर एवं स्वीकार कर उज्जैन दुग्ध संघ के पक्ष में हस्ताक्षरित की गई।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मक्सी रोड, उज्जैन –
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
परिवहनकर्ता
नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

(अनुबंध शर्तों का प्रारूप खण्ड – ब)

होर्डिंग्स / यूनिपॉल पर स्टॉर फ्लेक्स बेनर बनाकर स्थापना हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मकसी रोड़ उज्जैन एवं श्री/मेसर्स जिन्हे आगे ठेकदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व बेनर निर्माता कार्य संपादित करेंगे –

1. होर्डिंग यूनिपॉल पर स्टॉर फ्लेक्स का उपयोग ही किया जाना होगा है। फ्लेक्स निर्माण होर्डिंग्स / यूनिपॉल पर स्थापित करने तथा परिवहन आदि समस्त व्यय सहित ही दरें प्रस्तुत की जाए। दरों में जीएसटी अलग से स्पष्टता से उल्लेखित किया जाए।
2. कार्योपरांत प्रत्येक साईट का रंगीन फोटो बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. वर्तमान में उज्जैन नगर निगम के आधिपत्य वाले उज्जैन शहर में स्थापित यूनिपॉल एवं होर्डिंग्स पर स्टॉर फ्लेक्स लगाने जाने हैं, इन यूनिपॉल/होर्डिंग्स का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थान	यूनिपॉल होर्डिंग्स	स्वीकृत साईट
1	इंजीनियरिंग कॉलेज	यूनिपॉल 30×15	2
2	सी-21 माल के बाहर नानाखेड़ा	यूनिपॉल 30×15	2
3	होटल शान्ति पैलेस के पास	यूनिपॉल 30×15	2
4	महानन्दा नगर तिराहा	यूनिपॉल 30×15	2
5	पंवासा प्रवाह पेट्रोट पंप	यूनिपॉल 30×15	2
6	इन्द्रानगर चौराहा	यूनिपॉल 30×15	2
7	उन्हेल रोड़ भैरुगढ़	यूनिपॉल 30×15	2
8	चारधाम मंदिर के सामने	होर्डिंग्स 30×15	2
9	महाकाल मंदिर के पिछे	होर्डिंग्स 20×10	1
10	मंगलनाथ मार्ग खाकचौक	होर्डिंग्स 30×15	1
11	विश्वविद्यालय मार्ग देवासरोड़ा	होर्डिंग्स 30×15	1

4. भविष्य में रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, शाजापुर, नागदा आदि शहरों या सम्पर्क सड़क मार्ग पर यादि दुग्ध संघ को यूनिपॉल/होर्डिंग्स पर फ्लेक्स लगाये जाते हैं तो इस निविदा द्वारा स्वीकृति दरों पर ही इन क्षेत्रों में भी लगाने होंगे अतः निविदाकार तदानुसार ही दरें प्रस्तुत करें।
5. दुग्ध संघ द्वारा सूचित होर्डिंग्स/यूनिपॉल पर स्टॉर फ्लेक्स से बने फ्लेक्स बोर्ड निर्माण कर स्थापना करने के कार्य हेतु रु..... वर्गफीट निर्धारित रहेगी, जो सभी कर सहित है।
6. होर्डिंग्स/यूनिपॉल पर फ्लेक्स बेनर इस प्रकार लगाये जाएं, जिसमें स्थापित फ्लेक्स कम से कम तीन माह की अवधि तक टिका रह सके। यदि किसी होर्डिंग्स/यूनिपॉल पर स्थापित फ्लेक्स इस अवधि के पहले गिर जाता है तो द्वितीय पक्ष को तत्काल दूसरा नया फ्लेक्स लगाना होगा, जिसके लिए दोबारा भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. निविदाकार के पास GST होना अनिवार्य होगा।
8. अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में अनुबंध को जारी रखना संभव न होने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार उभय पक्ष को होगा।
9. यह कि इस अनुबंध के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा प्रथम पक्ष के पास रूपये 50,000/- प्रतिभूति जमा की गई, जिसे अनुबंध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस किया जा सकेगा।
10. यह कि ठेकेदार द्वारा बोर्ड स्थापित करने के लिए नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अथवा संबंधित विक्रय केन्द्र संचालक के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को ठेकेदार द्वारा तुरन्त हटाना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरंत निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।
11. यह अनुबंध दिनांक से तक 2 वर्षीय ठेका अवधि तक प्रभावशील रहेगा, इसके अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना करने या संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त किया जा सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
12. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका

तुरंत निरस्त करने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा ।

13. संघ की बकाया कोई भी राशि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूली की जा सकेगी ।
14. इस अनुबंध में जो दरें स्वीकृत की गई है वह दरें अनुबंध अवधि में परिवर्तित नहीं की जाएगी ।
15. उपरोक्त किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा ।
16. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निराकरण हेतु Arbitrator अध्यक्ष, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन के समक्ष रखा जावेगा । उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा ।
17. उपरोक्त शर्तों के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त शर्त लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को होगा ।
18. यदि ठेकेदार शर्तों के परिचालन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी ।
19. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण उज्जैन दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर तुरंत करना होगा, क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि ठेकेदार से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
20. ठेकेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का नाम मात्र सदस्य बनेगा ।

21. उपरोक्त अनुबंध के शर्तों के अलावा समय—समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश पत्र/परिपत्र के माध्यम से दिए जाएंगे, वे सभी इस अनुबंध के भाग माना जाएंगे एवं उसके पालन हेतु ठेकादार बंधनकारी होगा।
22. इस अनुबंध का न्यायिक कार्य क्षेत्र, उज्जैन शहर का न्यायालय होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार –

नाम.....

नाम.....पिता का नामआयु.....
 निवासी.....उपर उल्लेखित हस्ताक्षरित की गई¹
 निविदा क्षेत्र मेरे द्वारा भलीभांति पढ़कर/समझकर एवं स्वीकार कर उज्जैन दुर्ग संघ
 के पक्ष में हस्ताक्षरित की गई।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुर्ग संघ मर्या. मक्सी रोड, उज्जैन – 456010
--

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) परिवहनकर्ता नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

दुर्ग संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से कोई
संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

उज्जैन दुर्ग संघ द्वारा ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा उक्त कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुर्ग संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुर्ग संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप |
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा ग्लोसाइन बोर्ड निर्माण कर स्थापना एवं होर्डिंग्स पर बैनर निर्माण कर स्थापना के लिए एजेंसी नियुक्त हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा उक्त कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक
.

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता